# आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम. बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 244/इंदौर/2024
निर्धारण वर्ष : 2017-18

| | | |
|---|---|---|
| आयकर अधिकारी-1, रतलाम | बनाम | अतुल कुमार अंचलिया, 108, जवाहर पथ, जावरा (म.प्र.) |
| अपीलार्थी | | प्रत्यर्थी |
| स्था.ले.सं.- एबीओपीए 3513 एफ PAN-ABOPA3513F | | |

| | |
|---|---|
| राजस्व की ओर से | श्री आर.के.यादव, आयकर आयुक्त विभागीय प्रतिनिधि |
| निर्धारिती की ओर से | श्री मनीष डाफरिया, प्राधिकृत प्रतिनिधि |
| सुनवाई तिथि | 12.09.2024 |
| उद्घोषणा तिथि | 24.09.2024 |

## आदेश

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित राजस्व द्वारा दाखिल यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश दिनांक 22.01.2024 के विरुद्ध अपील ज्ञापन में वर्णित आधारों पर निदेशित है ।

2. सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस अपील में कर प्रभाव विनिहित सीमा से कम है एवं यह प्रकरण अपवाद खंड (Exemption Clause) के अधीन भी नहीं आता हैं । अतः सी.बी.डी.टी द्वारा जारी अनुदेशों तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की दृष्टि में विभाग को यह अपील दाखिल नहीं करना चाहिए थी ।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि अभिलेख पर कोई प्रतिकूल सामग्री लाकर उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सकें । यद्यपि, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि चूंकि इस प्रकरण में रेवेन्यू ऑडिट ऑब्जेक्शन (revenue Audit Objection) अंतर्ग्रस्त है अतः विभाग द्वारा यह अपील दाखिल की गई है । हालांकि, निर्धारिती द्वारा यह अपील 22.03.2024 को दाखिल की गई तथा विद्वान विभागीय प्रतिनिधि का ध्यान सीबीडीटी के परिपत्र सं 5/2024 दिनांक 15.03.2024 की ओर दिलाए जाने पर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने न्यायपीठ के समक्ष स्वीकार किया कि ऑडिट ऑब्जेक्शन को परिपत्र सं 5/2024 दिनांक 15.03.2024 के परिच्छेद सं. 3.1 में वर्णित अपवाद खंड (exception clause) में से हटा दिया गया है ।

4. हमने अभिलेख का अध्ययन किया है । हमने पाया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र सं. 3/2018 दिनांक 11.07.2018 के अनुसार विभाग द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने हेतु अंतर्ग्रस्त विनिहित कर सीमा 20 लाख थी जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र सं. 17/2019 दिनांक 08.08.2019 द्वारा संशोधित कर रु. 50 लाख कर दिया गया है तथा पूर्व परिपत्र सं. 3/2018 दिनांक 11.07.2018 के परिच्छेद सं. 5 की विसंगति को हटाया गया है । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र सं. 17/2019 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 268 ए के अधीन दी गई शक्तियों के अनुपालन में अधिकरण के समक्ष कोई अपील दाखिल नहीं की जानी चाहिए यदि कर प्रभाव रू. 50 लाख से अधिक नहीं है । इस संबंध में “कर प्रभाव” का अर्थ निर्धारित कुल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो प्रभार्य होता यदि कुल आय में से उन मुद्दों से संबंधित आय, जिनके विरूध्द अपील दाखिल करना आशयित है, को घटाया गया होता । यह परिपत्र इसके अतिरिक्त कथन करता है कि कर में उस पर कोई ब्याज शामिल नहीं होगा, सिवाए उसके जहाँ ब्याज की प्रभार्यता स्वयं ही विवादाधीन है । हमने इसके अतिरिक्त पाया कि परिपत्र के परिच्छेद 5 दिनांक 15.03.2024 के अनुसार ऑडिट ऑब्जेक्शन को इस परिपत्र के परिच्छेद सं. 3.1 में वर्णित अपवाद खंड (exception clause) में से हटा दिया गया है । अतः, हम राजस्व द्वारा दाखिल अपील को प्रकरण के गुणागुण पर विचार किए बिना आरंभतः खारिज करते हैं क्योंकि

हमारे मत से सीबीडीटी द्वारा जारी परिपत्र अधिनियम की धारा 268ए(1) के उपबंधों की दृष्टि में विभागीय अधिकारियों के लिए अनिवार्य है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नवनीत लाल झवेरी बनाम एएसी 56 आईटीआर 198 (एससी) प्रकरण में कथित दृष्टिकोण लिया गया है । तद्नुसार, हम राजस्व द्वारा दाखिल अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज करते हैं । यद्यपि, न्यायोचित दृष्टि से यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्व विविध आवेदन (एमए) दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है यदि यह प्रकरण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आता है ।

5. परिणामतः, राजस्व की अपील खारिज की जाती है ।

यह आदेश 24.09.2024 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है ।

| | |
|---|---|
| हस्ता/- | हस्ता/- |
| (विजय पाल राव) | (बी.एम. बियाणी) |
| न्यायिक सदस्य | लेखा सदस्य |

दिनांक : 24.09.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल